21/1/21

अधि० वादी व पेशकार हाजिर
उ०प०/ जवाब पेश किया। श्रा० रहे।
वादी का कथन है कि आराजियात खतौनी
सं. 246 कुल किता 2 रकबा 0.37 हे०,
खतौनी सं. 112 किता 8 रकबा 2.53 हे०
वाके ग्राम लम्बाखुर्द तहसील सुडाबरि
में स्थित है जो वादी के कब्जे काश्त व

Ruby

तामील हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

खातेदारी की है जिसमें खाता सं. 256 में वादी का नाम सलीम पुत्र चांद मौहम्मद है, खाता सं. 112 में मौहम्मद सलीम पुत्र चाँद मौहम्मद दर्ज हैं जबकि वादी का सही नाम सलीम मौहम्मद पुत्र चांद मौहम्मद है। वादी अपना नाम सलीम मौहम्मद पुत्र चांद मौहम्मद दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। अत: वाद वादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजियात वादी का नाम सलीम मौहम्मद दुरुस्त किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल करवावे।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादी अहिले सम्मन की गई। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाम्बा खुर्द की खतौनी संख्या 256 सम्वत 2074-77 में ख.नं. 513 रकबा 0.25 हे०, 518/2 रकबा 0.12 हे० किता 2 रकबा 0.37 हे० तथा खाता सं. 112 कुल किता 8 रकबा 2.53 हे० जो वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिसमें वादी का नाम सलीम व ~~...~~ मौहम्मद सलीम दर्ज है जो गलत दर्ज है सही नाम सलीम मौहम्मद पुत्र चान्द मौहम्मद है यह नाम ही सही है अत: वादग्रस्त आराजियात में वादी का नाम सलीम व मौहम्मद सलीम के स्थान पर पत्रावली में संलग्न वादी के दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का लाम्बा खुर्द की रिपोर्ट के अनुसार सलीम मौहम्मद पुत्र चान्द मौहम्मद दुरुस्त किया जाना उचित है।

वादी ने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी सं. 256, 112 जमाबंदी सम्वत 2074-77 वाके ग्राम लाम्बा खुर्द, बैंक डायरी, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड पेश किये

Ruby

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
बहस अधि० वादी व पेशोकार सरकार सुनी गई जो मुख्य रूप से वाद पत्र एवं जवाब के अनुसार रही। हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। खतौनी सं. 256 सम्वत 2075-77 वाके ग्राम लाम्बा खुर्द में वादी का नाम सलीम तथा खाता सं. 112 वाके लाम्बाखुर्द में मौहम्मद सलीम दर्ज है। जबकि वादी के कथनानुसार उसका सही नाम सलीम मौहम्मद है प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे में सलीम व मौहम्मद सलीम वादी के सही नाम नहीं होकर सलीम मौहम्मद सही नाम होना दर्शाया है तथा सलीम व मौहम्मद सलीम के स्थान पर पर सलीम मौहम्मद दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात बैंक डायरी, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड एवं आधार कार्ड में भी सलीम मौहम्मद ही दर्ज है। उक्त दस्तावेजात से वाद व जवाब दावे की पुष्टि होना जाहिर है इसलिए वादग्रस्त आराजियात में सलीम व मौहम्मद सलीम के स्थान पर सलीम मौहम्मद दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः वाद वादी मुताबिक जवाब डिक्री किया जाकर आराजियात वर्णित खतौनी सं. 256 सम्वत 2075-77 वाके ग्राम लाम्बा खुर्द में सलीम पुत्र चाँद मौहम्मद एवं खाता सं. 112 सम्वत 2075-77 वाके ग्राम लाम्बा खुर्द में मौहम्मद सलीम पुत्र चांद मौहम्मद के स्थान पर सलीम मौहम्मद पुत्र चांद मौहम्मद दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं शेष सभी अंकन बदस्तूर रहेंगे। रिकार्ड	Ruby

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। Ruby उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)